

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240080  
SG-DL-E-07112022-240080असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/ कार्तिक 16, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 336
No. 499]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/ KARTIKA 16, 1944	[N. C. T. D. No. 336

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

सं.एफ. 4(17)/रा.चु.आ./विधि/2022(ii)/7686.—जैसाकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 वर्तमान तक संशोधित, की धारा-11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, ने एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के वार्डों के मतदाताओं से उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(17)/रा.चु.आ./विधि/2022(i)/7685 दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के चुनाव करने का आह्वान किया है।

अतः अब, उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 14 के प्रावधान के अनुरूप में, डॉ. विजय देव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का राज्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त दिल्ली नगर निगम के आम चुनावों के संबंध में एतद्वारा नामांकन-पत्र दाखिल करने आदि की तिथियाँ निम्न प्रकार से नियत करता हूँ।

(क) चुनाव अधिसूचना जारी करने की तिथि : 07.11.2022 (सोमवार)

(ख)	नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि :	14.11.2022 (सोमवार)
(ग)	नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि :	16.11.2022 (बुधवार)
(घ)	नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि :	19.11.2022 (शनिवार)
(ङ.)	मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो तो :	04.12.2022 (रविवार)
(च)	मतगणना की तिथि :	07.12.2022 (बुधवार)
(छ)	चुनाव सम्पन्न होने की तिथि :	15.12.2022 (बृहस्पतिवार)

राज्य चुनाव आयुक्त एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के उपरोक्त चुनावों के लिए जैसा कि उपरोक्त नियमावली के नियम 34 में वांछनीय है, मतदान का समय "प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:30 बजे" तक भी निश्चित करते हैं।

डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त

### STATE ELECTION COMMISSION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2022

**No. F. 4 (17)/SEC/Law/2022/(ii) 7686.—WHEREAS** for purpose of holding general election to the Municipal Corporation of Delhi, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred upon him under Sub Section (3) of Section 11 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended till date, has called upon all the 250 wards of the Municipal Corporation of Delhi to elect councillors, vide Notification No. F.4(17)/SEC/Law/2022/(i)/7685 dated 07.11.2022.

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the said powers and in pursuance of the provisions of Rule 14 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, I, Dr. Vijay Dev, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby further appoint with respect of the above-said general elections to the Municipal Corporation of Delhi, the dates for filing of nominations etc. as under:-

(a)	Issue of notification of election :	07.11.2022 (Monday)
(b)	Last date for filing of nominations :	14.11.2022 (Monday)
(c)	Date for scrutiny of nominations :	16.11.2022 (Wednesday)
(d)	Last date for withdrawal of candidatures :	19.11.2022 (Saturday)
(e)	Date of poll, if necessary :	04.12.2022 (Sunday)
(f)	Counting of votes for the elections :	07.12.2022 (Wednesday)
(g)	Completion of Election by :	15.12.2022 (Thursday)

The State Election Commissioner hereby also appoints the hours of poll in respect of the above-said general elections as "8.00 A.M. to 5.30 P.M." as required under rule 34 of the aforesaid Rules.

Dr. VIJAY DEV, State Election Commissioner